कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

संख्याः–एम0ई0–3/2020/2307   दिनांकः–25 नवम्बर 2020

आवश्यक सूचना

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कालेजो मे एम0बी0बी0एस पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर 2020 के द्वारा शुल्क का निर्धारण किया गया है, जो इस कार्यालय की विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, जिसके आधार पर यू0पी0 नीट यू0जी0 2020 के अन्तर्गत सम्पन्न प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से निजी क्षेत्र के जी0एस0 मेडिकल कालेज, पिलखुवा, हापुड़ द्वारा शुल्क निर्धारण संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर 2020 को चुनौती देते हुए मा0 एपीलेट अथारिटी, एडमीशन एण्ड फीस रेगुलेटरी कमेटी के समक्ष रिट अपील दायर की गयी है, जो मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

अतः निजी क्षेत्र के उक्त मेडिकल कालेज मे आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि शुल्क निर्धारण मा0 फीस एपीलेट अथारिटी में लम्बित अपील मे पारित होने वाले अन्तिम आदेशो/निर्णय के अधीन होगा।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
जी0एस0 मेडिकल कालेज,
हापुड़।

संख्याः एम0ई0–3 / यू0जी0–2020 / 2305 लखनऊःदिनांकः 25.11.2020

विषयः–यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06.11.2020को चुनौती दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपकी संस्था द्वारा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 6.11.2020 को चुनौती देते हुए मा0 फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी, चारबाग, लखनऊ के समक्ष अपील दायर की गयी है, जो मा0 एपीलेट अथारिटी के विचाराधीन है और दायर अपील में किसी प्रकार के आदेश / निर्णय पारित नही किये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यू0पी0 नीट यू0जी0 2020 से आवंटित / प्रवेशित अभ्यर्थियो से शासनादेश दिनांक 06.11.2020 के द्वारा निर्धारित शिक्षण, हास्टल, सिक्योरिटी एवं विविध मद मे ही शुल्क ही लिया जायेगा एवं किसी भी छात्र / छात्राओं से दायर अपील के सापेक्ष किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क / बाण्ड / अन्डरटेकिंग अथवा असंवैधानिक रूप से कोई गैर कानूनी कार्यवाही नही की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।

संख्याः एम0ई0–3 / यू0जी0–2020 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4
2. सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से उपरोक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।